कार्यालय निदेशक,राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।।

क्रमांकः—एन—1(2)आरपीए/जन/नकारा/22—23/5434 दिनांकः— 15.10.24

नीलामी सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर के जनरल स्टोर का नकारा एवं अनुपयोगी सामान जिसमें चारपाई,टेन्ट,डेजर्ट कुलर,जनरेटर,सिलिंग फैन,खेल का सामान,लोहे जंगले,दरवाजे,जीआई पाईप इत्यादि विविध प्रकार का सामान सम्मिलित है जिनका पुस्तक मूल्य 39,38,618/— रू है इसके अतिरिक्त ई वेस्ट— के इलेक्ट्रिक नकारा सामान(कम्प्यूटर,सीपीयू,यूपीएस,माउस,की बोर्ड,ए.सी,एम्पलीफायर मशीन आदि) का पुस्तक मूल्य 14,60,781/— रूपये एवं फर्नीचर/लकडी(कुर्सी,टेबल,सौफा, दीवान,लकडी के दरवाजे आदि) का पुस्तक मूल्य 4,88,984/— रूपये है। कुल राशि 58,88,383/— रूपये है। नीलामी दिनांक 11.11.2024 को 11.00 ए.एम. पर आयोजित की जा रही है। अतः इच्छुक बोलीदाता/बिडर्स राजस्थान पुलिस अकादमी के जनरल स्टोर परिसर में निर्धारित समय पर पहुँच कर नीलामी में भाग लेने हेतु सूचित हो। अनुपयोगी नीलामी योग्य सामानों की सर्वे सूची—नीलामी शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। बोलीदाता बयाना राशि पेटे 1,17,768/— रूपये जमा करवाने पर ही नीलामी में शामिल हो सकेगा।

15.10.24

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,राज0 जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि नीलामी सूचना का विज्ञापन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में तीन दिवस तक प्रकाशित करवायें।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
3. वित्तिय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय राज0 जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी तिथि को यथासमय पर आप द्वारा मनोनित लेखा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी को भिजवाने का कष्ट करें।
5. सहायक निदेशक(प्रशासन,आउटडोर,इण्डोर)आरपीए जयपुर।
6. लेखाधिकारी/प्रोग्रामर/संचित निरीक्षक (प्रशासन),संचित निरीक्षक क्वार्टर मास्टर,कैशियर,प्रभारी जनरल स्टोर आर.पी.ए जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

।।कार्यालय निदेशक,राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।।

क्रमांकः–एन–1(2)आरपीए / जन / नकारा / 22–23 / 5435 दिनांकः– 15.10.24

नीलामी की शर्ते

दिनांक 11.11.2024 को प्रातः 11.00 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में विभिन्न प्रकार के नकारा सामान का गठित कमेठी द्वारा सार्वजनिक नीलामी कर निस्तारण किया जाना है, नीलामी योग्य नाकारा सामान का विवरण निम्न प्रकार से है–

नाकारा एवं अनुपयोगी सामान जिसमें चारपाई,टेन्ट,डेजर्ट कुलर,जनरेटर,सिलिंग फैन,खेल का सामान,लोहे जंगले,दरवाजे,जीआई पाईप इत्यादि विविध प्रकार का सामान सम्मिलित है जिनका पुस्तक मूल्य 39,38,618 / – रू है इसके अतिरिक्त ई वेस्ट– के इलेक्ट्रिक नकारा सामान (कम्प्यूटर, सीपीयू,यूपीएस,माउस,की बोर्ड,ए.सी.एम्पलीफायर मशीन आदि) का पुस्तक मूल्य 14,60,781 / – रूपये है। एवं फर्नीचर / लकडी(कुर्सी,टेवल,सौफा, दीवान,लकडी के दरवाजे आदि) का पुस्तक मूल्य 4,88,984 / – रूपये है। कुल राशि 58,88,383 / – रूपये है।

अतः जो खरीददार वोली लगाने के इच्छुक हो वह दिनांक 11.11.2024 को निश्चित समय पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। उक्त सामान किसी भी कार्य दिवस में राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर स्थित जनरल स्टोर में देखा जा सकता है। नीलामी की निम्नांकित शर्ते होगी, जो सभी बोली दाताओं को मान्य होगी।

1. ई–वेस्ट के इलेक्ट्रीक नकारा सामान हेतु [Ministry of Environment and Forests] Govt of India के e-Wast(Management and Handling) Rules , 2011 के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म ही बोली लगाने हेतु पात्र होगी।
2. वोली लगाने वाले व्यक्ति को वोली लगाने से पूर्व 1,17,768 / –(अक्षरे एक लाख सतरा हजार सात सौ अठसठ रूपये मात्र) नकद राशि कैशियर,आर0पी0ए, जयपुर को प्रातः समय 11.00 बजे तक धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।
3. जिस वोलीदाता के नाम वोली छुटेगी उसको उसी समय नीलामी राशि का 50 प्रतिशत रकम जमा करानी होगी,वोली प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का समायोजन कराया जा सकेगा। शेष रकम वोली छूटने के 24 घण्टे के अन्दर जमा करानी होगी अन्यथा जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. जिसके नाम पर वोली छूटेगी उक्त वोली दाता को नियमानुसार जी.एस.टी. की राशि अतिरिक्त स्वयं को जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करने के पश्चात ही सामान सुपुर्द किया जावेगा।
5. नीलामी का उचित मूल्य प्राप्त होने पर नीलामी रोकने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
6. वोली लगाने से पूर्व कमेटी द्वारा रखी गई शर्ते मान्य होगी, बोली समाप्त होने पर किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
7. नीलामी पूर्ण होने के पश्चात सामान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी व 02 दिवस के अन्दर सामान उठाना आवश्यक होगा । उक्त के अभाव में प्रतिदिन राशि रूपये 1000 की दर से अतिरिक्त जमा कराने के पश्चात ही सामान ले जाने दिया जावेगा।
8. नीलामी का सामान स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।
9. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेड फर्म / वोलीदाता ही वोली में भाग लेने हेतु पात्र होगे। इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति साथ लानी होगी।
10. यदि समिति को प्रतीत होता है कि वोलीदाताओं द्वारा पूलिंग की जा रही है तो नीलामी निरस्त की जा सकेगी।

15.10.24

सहायक निदेशक (प्रशासन)
राजस्थान पुलिस अकादमी